सोशल आडिट निदेशालय

ग्राम्य विकास विभाग, उ0प्र0

7वाँ तल, पी.सी.एफ. भवन, 32, स्टेशन रोड, लखनऊ–226001

Phone No.: 0522-2630878, Fax: 0522-4003787, E-mail: socialauditup@yahoo.in

पत्रांकः 58 / सो.आ.नि.–318(II) / 2017
दिनाँकः 02 मई, 2017

प्रेषक,

निदेशक,
सोशल आडिट,
उत्तर प्रदेश।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
(गाजियाबाद, गौतमबुद्धनगर, बस्ती तथा मऊ को छोड़कर)
उत्तर प्रदेश।

विषयः **वर्ष 2017–18 के लिए सोशल आडिट टीमों का गठन।**

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक इस निदेशालय के पत्र संख्या 770 / सो.आ.नि.– 318(II) / 2017 दिनांक 17–3–2017 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। वित्तीय वर्ष 2017–18 के लिए सोशल आडिट टीमों के गठन हेतु कार्यवाही प्रारम्भ हो गयी है। इस हेतु समाचार–पत्रों में प्रकाशित विज्ञप्ति आपके सूचनार्थ संलग्न है। सोशल आडिट टीमों के गठन के सम्बन्ध में निम्नवत् दिशा–निर्देश निर्गत किए जाते हैं, इन निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन किया जाना अपेक्षित है।

1– **सोशल आडिट टीमों के गठन** की प्रक्रिया निम्नवत होगीः–

(क) ग्राम पंचायतों में निर्दिष्ट योजनाओं यथा मनरेगा तथा प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के अर्न्तगत कराए गए कार्यों का सोशल आडिट करने हेतु ब्लाक स्तर पर सोशल आडिट टीमों के गठन हेतु उ0प्र0 सोशल आडिट संगठन (पंजीकृत सोसाइटी) द्वारा निम्नवत आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं।

(ख) प्रत्येक चार सदस्यीय सोशल आडिट टीम में (i) सामान्य वर्ग, (ii) अन्य पिछड़ा वर्ग, (iii) अनुसूचित जाति / जनजाति, तथा (iv) जाबकार्ड धारक श्रमिक अथवा उसके पात्र पुत्र / पुत्री –प्रत्येक श्रेणी से एक–एक सदस्य होंगे। उक्त में से न्यूनतम एक सदस्य का महिला होना अनिवार्य है।

(ग) **शैक्षिक अर्हताः**– हाईस्कूल उत्तीर्ण। हाईस्कूल उत्तीर्ण अभ्यर्थी उपलब्ध न होने पर चयन समिति द्वारा शैक्षिक अर्हता शिथिलनीय।

(घ) **निवासः**– सोशल आडिट टीम का सदस्य नामित होने हेतु उसी विकास खण्ड का निवासी होना अनिवार्य है।

(ड.) **आयुः**– 01 अप्रैल, 2017 को 45 से 65 वर्ष के मध्य।

(च) ग्राम पंचायतों में जन–जागरूकता के विस्तार हेतु सोशल आडिट टीम के सदस्य के रूप में पैनल पर रखे जाने हेतु वही व्यक्ति पात्र माने जायेंगे, जिन्होंने वर्ष 2013–14 से लेकर 2016–17 तक सोशल आडिट टीम के सदस्य के रूप में किसी ग्राम पंचायत में सोशल आडिट से सम्बन्धित कार्य न किया हो।

(छ) सोशल आडिट टीमों के सदस्यगण केवल एक वित्तीय वर्ष की अवधि के लिए दिनांक 31–3–2018 तक **सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में पैनल पर नामित किए जाएंगे।** यह स्पष्ट किया जाता है कि पैनल पर नामित सदस्यगण से केवल आवश्यकतानुसार सोशल आडिट हेतु उनकी सेवाएं प्राप्त की जाएगी। यह भी सम्भव है कि कतिपय मामलों में अपरिहार्य कारणों से सदस्यगण से वर्ष में सोशल आडिट का कार्य न लिया जा सके।

(ज) **सोशल आडिट टीम के सदस्यों की सेवाएं पूर्णतया सामाजिक कार्य है। यह किसी प्रकार की नौकरी नहीं है और न ही इससे भविष्य में किसी प्रकार की नौकरी की हकदारी बनेगी, जो एक निश्चित समय के बाद स्वतः समाप्त हो जायेगी।**

2– टीम के सदस्य हेतु आवेदन पत्र निम्नांकित प्रारूप, जो संगठन द्वारा अधिकृत सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी कार्यालय या जिला विकास अधिकारी कार्यालय से निःशुल्क प्राप्त किया जा सकता है अथवा संगठन की वेबसाइट www.socialauditup.in से डाउनलोड किया जा सकता है, पर प्राप्त किए जायेंगे।

"सोशल आडिट टीम का सदस्य" हेतु आवेदन पत्र

1– जनपद :.. 2– विकास खण्ड :..

3– अभ्यर्थी का नाम :.. 4– पिता/पति का नाम :..........................

5– जन्मतिथि :.. 6– शैक्षिक अर्हता :......................................

7– श्रेणी (सामान्य वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति/जनजाति, जाबकार्ड धारक श्रमिक अथवा उसका पात्र पुत्र/पुत्री):..

8– निवास का पता :..

9– मोबाइल नं0:..

दिनांक...

अभ्यर्थी का हस्ताक्षर.............................

जिला विकास अधिकारी कार्यालय में आवेदन–पत्र पहुँचने की अन्तिम तिथिः 20 मई, 2017 निर्धारित की गयी है।

3– उपर्युक्त प्रारूप के अनुसार पर्याप्त संख्या में आवेदन–पत्र का प्रारूप स्थानीय स्तर पर जिला विकास अधिकारी द्वारा कन्टीनजेन्सी/स्टेशनरी व्यय मद में उपलब्ध धनराशि से छपवा लिया जाना चाहिए तथा इसका वितरण खण्ड विकास अधिकारियों के माध्यम से प्रार्थना पत्र देने के इच्छुक व्यक्तियों को उपलब्ध कराया जाना चाहिए। इच्छुक अभ्यर्थी यदि चाहें, निदेशालय की वेबसाइट से उक्त प्रार्थना– पत्र का प्रारूप डाउनलोड भी कर सकते हैं।

4– प्रत्येक विकास खण्ड में 10 ग्राम पंचायतों पर एक **"4 सदस्यीय सोशल आडिट टीम'** का गठन किया जाएगा। उदाहरणार्थ, यदि किसी विकास खण्ड में 61–70 के बीच ग्राम पंचायतें हों तो उस विकास खण्ड में 7 टीमों का गठन किया जाना अपेक्षित होगा, किन्तु यदि ग्राम पंचायतों की संख्या 59 हो तो 6 टीमों का ही गठन किया जाएगा।

उक्तवत् 10 ग्राम पंचायतों पर 1 टीम के गठन के अतिरिक्त प्रत्येक विकास खण्ड में सामान्य वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति/जनजाति, जॉबकार्डधारक श्रमिक अथवा उसका पात्र पुत्र/पुत्री (04 सदस्यीय टीम में न्यूनतम 01 सदस्य का महिला होना अनिवार्य है)– सभी वर्गों से 2–2 व्यक्तियों को रिजर्व सूची में रखा जाएगा ताकि गठित टीमों में से यदि किसी वर्ग के चयनित अभ्यर्थी सोशल आडिट हेतु उपस्थिति नहीं होता है तो उसके स्थान की पूर्ति इस रिजर्व सूची से की जा सके। सोशल आडिट टीम के सदस्य हेतु न्यूनतम अर्हता हाईस्कूल उत्तीर्ण है, किन्तु यदि किसी वर्ग के हाईस्कूल उत्तीर्ण अभ्यर्थी उपलब्ध न हों तो विशेष परिस्थितियों में समिति शैक्षिक अर्हता को शिथिल कर सकती है।

5– **टीम के गठन हेतु अभ्यर्थियों से आवेदन पत्र प्राप्त करना:–**

टीमों के गठन के संबंध में ग्राम पंचायतों में व्यापक जन सम्पर्क के माध्यम से प्रचार–प्रसार किया जाएगा ताकि सामान्य–जन में सोशल आडिट के प्रति जागरूकता बढ़े और अधिक से अधिक उपयुक्त अभ्यर्थियों से सोशल आडिट टीम के सदस्य के रूप में पैनल पर रखे जाने हेतु आवेदन प्राप्त हो सकें। ग्राम पंचायतों में स्वैच्छिक रूप से सामाजिक कार्यों में सक्रिय व्यक्तियों, भारत निर्माण वालंटियर्स (B.N.V.) में प्रशिक्षण प्राप्त स्वयं सेवकों, ग्रामीण आजीविका मिशन के अर्न्तगत गठित स्वयं सहायता समूहों तथा जाबकार्डधारक श्रमिक के पात्र पुत्र/पुत्री, जो कम से कम हाईस्कूल उत्तीर्ण हों, को टीम के सदस्य हेतु आवेदन पत्र प्रेषित करने हेतु प्रेरित किया जाना चाहिए। पर्याप्त संख्या में अभ्यर्थियों से आवेदन पत्र प्राप्त हों, इस हेतु खण्ड विकास अधिकारियों का भी सहयोग प्राप्त किया जाना चाहिए।

6— **समितिः**— प्राप्त आवेदन पत्रों का परीक्षण करते हुए टीम के सदस्य के रूप में पैनल पर रखे जाने हेतु उपयुक्तता का निर्धारण निम्नवत् गठित समिति द्वारा किया जाएगा:—

(क)	जिला विकास अधिकारी	अध्यक्ष
(ख)	जिलाधिकारी द्वारा नामित किसी कालेज / प्रतिष्ठित शैक्षिक संस्था का प्रतिनिधि	सदस्य
(ग)	जिला सोशल आडिट कोआर्डिनेटर अथवा उसकी अनुपस्थिति में जिला विकास अधिकारी द्वारा नामित अन्य पदधारक	सदस्य सचिव

7— **प्रक्रियाः**—

वर्ष 2017—18 के लिए टीमों के गठन हेतु दिनांक 20—05—2017 तक प्राप्त आवेदन पत्रों को जिला विकास अधिकारी के कार्यालय में विकास खण्डवार रजिस्टर पर दर्ज किया जाएगा और उनका परीक्षण कर पात्र आवेदकों को चयन समिति के समक्ष साक्षात्कार हेतु बुलाया जाएगा। पैनल तैयार करने की प्रक्रिया 31—05—2017 तक पूर्ण कर ली जानी है ताकि जून, 2017 में टीमों के सदस्यों को समुचित प्रशिक्षण दिया जा सके और सोशल आडिट प्रारम्भ हो सके।

8— **टीम के सदस्यों की कार्यावधिः**—

टीम के सदस्यों का पैनल वर्ष 2017—18 के लिए मान्य होगा, जो 31 मार्च, 2018 तक के लिए मान्य होगा। 31 मार्च, 2018 को इनकी कार्यावधि स्वतः समाप्त हो जाएगी।

9— **व्यावसायिक शुल्क** :—

प्रत्येक ग्राम पंचायत के सोशल आडिट के सम्यक् रूप से सम्पन्न होने पर टीम के प्रत्येक सदस्य को निर्धारित दरों पर व्यावसायिक शुल्क का भुगतान अनुमन्य होगा। वर्तमान में यह दर रू0 500/— प्रति सोशल आडिट प्रति सदस्य है।

10— **कर्तव्य एवं दायित्व** :—

निर्दिष्ट ग्राम पंचायत में योजनाओं के अर्न्तगत कराए गए कार्यों का सोशल आडिट सम्पादित करना, जिसमें निम्नांकित सम्मिलित है :—

(1) मस्टर रोल की प्रविष्टियों के अनुसार किए गए भुगतान का मजदूरी प्राप्त करने वाले समस्त व्यक्तियों से सम्पर्क करके सत्यापन कराना।

(2) योजना के अर्न्तगत कराए गए समस्त कार्यों का स्थल पर सत्यापन करते हुए अभिलेखों के आधार पर मात्रा एवं कराए गए कार्यों की गुणवत्ता पर टिप्पणी करना।

(3) रोकड़ बही, बैंक विवरण, बिलों, बाउचरों एवं अन्य वित्तीय अभिलेखों का परीक्षण कर वित्तीय सूचना प्रेषण की शुद्धता का सत्यापन करना।

(4) सामग्री क्रय निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार होने की पुष्टि हेतु सभी इनवॉयस, बिल बाउचर्स या अन्य सम्बन्धित अभिलेखों का परीक्षण कर सत्यापन करना।

(5) कार्यक्रम के लिए प्राप्त निधियों में से कार्यकारी संस्थाओं द्वारा किए गए अन्य भुगतानों का सत्यापन करना।

(6) परिसम्पत्तियों (व्यक्तिगत लाभार्थियों की भूमि पर किए गए कार्यों सहित) की भौतिक स्थिति, गुणवत्ता एवं परिसम्पत्तियों की उपयोगिता के बारे में लाभार्थियों की संतुष्टि का आंकलन करना।

(7) निर्धारित प्रारूप पर सभी जॉबकार्ड धारकों को दी गई धनराशि के ब्यौरे वाल पेंटिंग में दर्शाए जाने की स्थिति एवं उसमें दिए गए विवरणों का अभिलेखों से मिलान कर टिप्पणी करना।

(8) सोशल आडिट में पाई गई कमियों का उल्लेख करते हुए तथा सोशल आडिट ड्राफ़्ट प्रतिवेदन तैयार करना।

(9) यदि ग्राम पंचायत में प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) का निर्माण हुआ है तो उसका भी शत—प्रतिशत सत्यापन करना।

(10) निदेशक सोशल आडिट, उ0प्र0 द्वारा निर्दिष्ट अन्य कार्य।

11— उपरोक्तानुसार टीमों के गठन हेतु इस निदेशालय द्वारा केन्द्रीयित रूप से प्रदेश के विभिन्न समाचार—पत्रों में विज्ञापन प्रकाशित कराए गये हैं ताकि टीम के सदस्यों हेतु उपयुक्त अभ्यर्थियों से पर्याप्त संख्या में आवेदन पत्र प्राप्त हो सकें।

12— कृपया आवेदन पत्र का प्रारूप जिला तथा ब्लाक स्तर पर नोटिस बोर्डों पर चस्पा कराने तथा उनकी फोटोकापी वांछित अभ्यर्थियों को उपलब्ध कराने हेतु सम्बन्धित को निर्देशित करने का कष्ट करें।

आपसे अनुरोध है कि कृपया टीमों के गठन हेतु यथोचित व्यवस्था करने हेतु सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देशित करने का कष्ट करें ताकि वर्ष 2017—18 में सोशल आडिट के लिए टीमों का गठन समय से **31 मई, 2017** तक पूर्ण हो सके।

भवदीय,

(राजवर्धन)
निदेशक।

प्रतिलिपि :—
निम्नलिखित की सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1— अपर मुख्य सचिव, ग्राम्य विकास विभाग, अनुभाग—7, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
2— समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
3— समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
4— समस्त जिला विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।

(राजवर्धन)
निदेशक।

Rks/desktop/gen.letters

श्रीवास्तव ने यह अवार्ड हासिल किया। अंतर्राष्ट्रीय स्तर के इस अवार्ड के लिए कई देशों से नामांकन हुए थे। अलग-अलग श्रेणी में पुरस्कार दिए जाने थे। यूपी पुलिस की ट्विटर सेवा को पब्लिक रिलेशन श्रेणी में चुना गया। इस सेवा को माना गया। यह अवार्ड किसी भी पुलिस संगठन को मिलने वाला इकलौता है। राहुल श्रीवास्तव ने बताया कि सोशल मीडिया ग्रांड जूरी अवार्ड के लिए विभिन्न देशों से 162 नामांकन आए थे। इसमें विभिन्न श्रेणी में 16 विजेता चुने गए।

गिरकर घायल हो गए। सभी को जिला अस्पताल लाया गया। हालत गंभीर होने से डॉक्टरों ने राहुल, संदीप, अशोक, नन्हेलाल और भोला को इलाहाबाद रेफर कर दिया। दूसरी ओर लालगंज पुलिस घटना को अराजकतत्वों की करतूत बता रही है, ग्रामीणों का कहना है कि द्वारपूजा के दौरान लोग उत्साह में फायरिंग कर रहे थे। इसी दौरान यह हादसा हुआ।

के भाई के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर मामले की छानबीन प्रारंभ कर दी है।

कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधिकारी, रायबरेली।

पत्रांकः– एन.एच.एम. / निविदा / 2017–18 / 3712 दिनांकः– 28.04.2017

निविदा सूचना

जनपद में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत आर.बी.एस.के. कार्यक्रम के संचालन हेतु मोबाईल हेल्थ टीम के लिए लैप–टाप का क्रय किया जाना है जिस हेतु ब्राण्डेड कम्पनी के अधिकृत डीलरों से निविदा आमंत्रित की जाती है। निविदा प्रपत्र रु. 500.00 जमा कर किसी भी कार्य दिवस में अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय से दिनांक 03.05.2017 से 12.05.2017 तक प्रातः 11.00 बजे से सांय 4.00 बजे तक प्राप्त किये जा सकते हैं तथा निविदाऐं दिनांक 15.05.2017 को अपरान्ह 2.00 बजे तक अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय की निविदा बाक्स में डाली जायेगी तथा उसी दिन अपरान्ह 2.30 बजे उपस्थिति निविदादाताओं एवं निविदा कमेटी के सदस्यों के समक्ष खोली जायेगी, निविदा से सम्बन्धित नियम एवं शर्तें एवं अन्य विशिष्टियों का अवलोकन उक्त दिनांकों को अधोहस्ताक्षरी कार्यालय में आकर किसी भी कार्य दिवस में किया जा सकता है।

मुख्य चिकित्सा अधिकारी
रायबरेली।

www.upgov.nic.in Upid-116993 Dt 28.04.2017

उत्तर प्रदेश सोशल आडिट संगठन

(सोशल आडिट निदेशालय, उ0प्र0) सोसाइटी
सातवां तल, पी0सी0एफ0 भवन, 32 स्टेशन रोड, लखनऊ–226001

सोशल आडिट टीमों के गठन हेतु विज्ञप्ति

1. ग्राम पंचायतों में निर्दिष्ट योजनाओं यथा मनरेगा तथा प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के अन्तर्गत कराए गए कार्यों का सोशल आडिट करने हेतु ब्लाक स्तर पर सोशल आडिट टीमों के गठन हेतु उ0प्र0 सोशल आडिट संगठन (पंजीकृत सोसाइटी) द्वारा निम्नवत आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं।
2. प्रत्येक चार सदस्यीय सोशल आडिट टीम में (i) सामान्य वर्ग, (ii) अन्य पिछड़ा वर्ग, (iii) अनुसूचित जाति / जनजाति, तथा (iv) जाबकार्ड धारक श्रमिक अथवा उसके पात्र पुत्र / पुत्री –प्रत्येक श्रेणी से एक–एक सदस्य होंगे। उक्त में से न्यूनतम एक सदस्य का महिला होना अनिवार्य है।
3. शैक्षिक अर्हताः– हाईस्कूल उत्तीर्ण। हाईस्कूल उत्तीर्ण अभ्यर्थी उपलब्ध न होने पर चयन समिति द्वारा शैक्षिक अर्हता शिथिलनीय।
4. निवासः– सोशल आडिट टीम का सदस्य नामित होने हेतु उसी विकास खण्ड का निवासी होना अनिवार्य है।
5. आयुः– 01 अप्रैल, 2017 को 45 से 65 वर्ष के मध्य।
6. ग्राम पंचायतों में जन–जागरूकता के विस्तार हेतु सोशल आडिट टीम के सदस्य के रूप में पैनल पर रखे जाने हेतु वही व्यक्ति पात्र माने जायेंगे, जिन्होंने वर्ष 2013–14 से लेकर 2016–17 तक सोशल आडिट टीम के सदस्य के रूप में किसी ग्राम पंचायत में सोशल आडिट से सम्बन्धित कार्य न किया हो।
7. सोशल आडिट टीमों के सदस्यगण केवल एक वित्तीय वर्ष की अवधि के लिए दिनांक 31–3–2018 तक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में पैनल पर नामित किए जाएंगे। यह स्पष्ट किया जाता है कि पैनल पर नामित सदस्यगण से केवल आवश्यकतानुसार सोशल आडिट हेतु उनकी सेवाएं प्राप्त की जाएगी। यह भी सम्भव है कि कतिपय मामलों में अपरिहार्य कारणों से सदस्यगण से वर्ष में सोशल आडिट का कार्य न लिया जा सके।
8. सोशल आडिट टीम के सदस्यों की सेवाएं पूर्णतया सामाजिक कार्य है। यह किसी प्रकार की नौकरी नहीं है और न ही इससे भविष्य में किसी प्रकार की नौकरी की हकदारी बनेगी।
9. सोशल आडिट के वास्तविक रूप से सम्पन्न होने पर सोशल आडिट टीम के प्रत्येक सदस्य को प्रति सोशल आडिट रु0 500 / – व्यवसायिक शुल्क के रूप में अनुमन्य होगा।
10. टीम के सदस्य हेतु आवेदन पत्र निम्नांकित प्रारूप, जो संगठन द्वारा अधिकृत सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी कार्यालय या जिला विकास अधिकारी कार्यालय से निःशुल्क प्राप्त किया जा सकता है अथवा संगठन की वेबसाइट www.socialauditup.in से डाउनलोड किया जा सकता है, पर प्रस्तुत किया जा सकता है :–

"सोशल आडिट टीम का सदस्य" हेतु आवेदन पत्र

1– जनपद :.............................. 2– विकास खण्ड :..............................
3– अभ्यर्थी का नाम :.............................. 4– पिता / पति का नाम :..............................
5– जन्मतिथि :.............................. 6– शैक्षिक अर्हता :..............................
7– श्रेणी (सामान्य वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति / जनजाति, जाबकार्ड धारक श्रमिक अथवा उसका पात्र पुत्र / पुत्री):..............................
8– निवास का पता :..............................
9– मोबाइल नं0:..............................

दिनांक..............................
अभ्यर्थी का हस्ताक्षर..............................

11. भरे गए आवेदन पत्र सम्बन्धित जनपद के जिला विकास अधिकारी कार्यालय में दिनांक 20 मई, 2017 तक प्राप्त कराए जा सकते हैं।

निदेशक,
सोशल आडिट, उ0प्र0।

www.upgov.nic.in Upid-116974 Dt. 28.4.17

उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड शक्ति भवन, 14- अशोक मार्ग, लखनऊ **CIN NO U32201UP 1999 GC024928** संख्या-827-ले.सा./पाकालि/2017-2 (02)-ले.सा./2017 दिनांक 28 अप्रैल, 2017 शुद्धि पत्र- 500 अदद रिम सेंचुरी मिल के स्टार फोटो कापियर पेपर (एफ.एस.) की आपूर्ति सम्बन्धी कारपोरेशन के निविदा पत्र सं.-565-ले.सा./पाकालि/2017-2(02) /2017 दिनांक 21.03.2017 द्वारा प्रकाशित निविदा सूचना संख्या-पाकालि/ले.सा.-02 /2017 में इंगित तिथियों का विस्तार अपरिहार्य कारणवश निविदा प्रपत्र क्रय किए जाने की अन्तिम तिथि 17.05.2017 एवं निविदा जमा एवं खोले जाने की अन्तिम तिथि 18.05.2017 समय अपरान्ह 2.00 बजे तक किया जाता है। शेष नियम व शर्तें यथावत रहेंगी। 'राष्ट्रहित में बिजली बचायें' (शमशाद अहमद) अनु. सचिव (ले.सा.) सं.-110-जस/पाकालि/2017 दि. 29.04.17

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता। विद्युत वितरण खण्ड (लेसा) सेक्टर-6, जानकीपुरम विस्तार, 33/11 के.वी. विद्युत उपकेंद्र, लखनऊ। पत्रांक : 766/वि.वि.ख.(ल.)/सा.अ. दिनांक : 29.04.17 **सूचना नोटिस।** श्री मो. शकिर, श्रमिक पुत्र स्व. श्री अब्दुल शकिर ग्रा. रूपपुर अलीनगर बडी पकड़िया खदरा सीतापुर रोड लखनऊ आप दिनांक 06.01.2015 से कार्यालय में बिना किसी सूचना के अनुपस्थित चल रहे हैं। इस सम्बन्ध में आपको इस कार्यालय के पत्र सं. 1992 वि.वि.खं.(ल.) दिनांक 20.07.2015 एवं पत्र सं. 3572 वि.वि.खं.(ल.) दिनांक 18.11.2015 एवं पत्र सं. 689 वि.वि.खं.(ल.) दिनांक 13.04.2016 एवं पत्रांक संख्या 131 वि.वि.खं. (ल.) दिनांक 25.01.2017 के माध्यम से दैनिक समाचार पत्र दिनांक 28.01.2017 एवं दिनांक 04.02.2017 के द्वारा कार्यालय में उपस्थित होकर अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया था परन्तु आपने आज तक न तो अवकाश हेतु प्रार्थना-पत्र दिये हैं और न ही कार्यालय में उपस्थित हुए हैं। अतः आपको यह अन्तिम अवसर प्रदान किया जाता है कि आप सूचना प्रकाशन के 7 दिनों के अन्दर अधोहस्ताक्षरी के समक्ष उपस्थित होकर अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करें। अन्यथा आपके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करने हेतु आपका नाम उच्चाधिकारियों को भेज दिया जायेगा जिसके लिए आप स्वयं उत्तरदायी होंगे। *'राष्ट्रहित में बिजली बचाएँ।'* (ए.के. जयसवाल) अधिशासी अभियन्ता।

Lucknow.amarujala.com

मध्याँचल विद्
लिमिटेड।
अधोहस्ताक्षरी
2017 एवं 21.0
पत्रों में प्रकाशित
25, 26, 27 ए
लेसा/2016-17
तिथि 01.05.2
कारणों से
09.05.2017
में बिजली
अभियन्ता, वि
मण्डल (पं
रेजीडेन्सी, लख
वि.न.नि.म.(प.)
28/2016-17

उत्तर प
ई नि
S&T/C/All/
भारत संघ के राष्ट्रप
सिगनल एवं दूरसंच
पश्चिम रेलवे, अज
निर्धारित पपत्र पर
Packet) आमंत्रित
Indoor & outdo
telecom installa
(part) of Synchr
(SDH) STM-I
Muxes and
equipments
installation, test
6-Quad cable.
emergency pos
for control cor
BariSadri sect
on North
2. कार्य की अ
2,76,00,102.6
कराने हेतु : रूपये
Opening of
31.05.2017.
and notice
completed
eligibility criter
mentioned on
which can b
01.05.2017
http://www.ire